

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3974
उत्तर देने की तारीख: 19.12.2024

स्वच्छ ईंधन

†3974. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार राजसहायता चाहने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए स्वच्छ ईंधनों को अपनाने को एक अनिवार्य मानदंड बनाने का विचार रखती है और यदि हां, तो ईंधन के प्रकार और अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं सहित विशिष्ट ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या स्वच्छ ईंधनों को अपनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विशेषकर सीमित संसाधनों वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए निधियां आवंटित की गई हैं;
- (ग) विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार विशेषकर तेलंगाना में प्रदान की गई किन्हीं वित्तीय सहायता अथवा प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) अनुपालन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र के साथ-साथ इस मानदंड को लागू करने की संभावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पास सब्सिडी की मांग करने वाले एमएसएमई के लिए स्वच्छ ईंधन को अपनाने हेतु अनिवार्य मानदंड बनाने की कोई विशेष योजना नहीं है।

(ख) से (घ): सरकार ने एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं, जिनमें स्वच्छ ईंधन अपनाने के लिए सहायता भी शामिल है। इन पहलों में एमएसएमई चैंपियंस स्कीम, एमएसएमई हरित निवेश और परिवर्तन हेतु वित्तपोषण (एमएसई गिफ्ट), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई योजना) और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) का राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता और प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम शामिल हैं। विगत पांच वित्तीय वर्षों में तेलंगाना सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता या प्रोत्साहन का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

इसके अलावा, तेलंगाना सरकार ने एमएसएमई द्वारा सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र स्थापित करने अथवा भवन को एकीकृत आवास मूल्यांकन (जीआरआईएचए) हेतु ग्रीन रेटिंग में 3-5 स्टार रेटिंग प्राप्त होने पर अतिरिक्त 15% फर्श क्षेत्र जैसे प्रोत्साहनों की घोषणा की है।

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3974 के भाग (ख) से (घ) के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक जारी की गई राज्य-वार मार्जिन मनी सब्सिडी:

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रु. में)				
		वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	1.46	1.86	2.39	2.03	1.34
2	आंध्र प्रदेश	90.42	68.57	100.89	129.3	172
3	अरुणाचल प्रदेश	3.64	2.33	7.89	7.01	17.65
4	असम	35.89	49.48	66.6	59.54	64.06
5	बिहार	69.59	72.09	81.7	121.23	191.76
6	चंडीगढ़	0.29	0.16	0.62	0.45	0.22
7	छत्तीसगढ़	61.07	60.63	69.41	74.93	76.25
8	दिल्ली	1.11	1.48	3.15	4.71	3.34
9	गोवा	2.44	1.57	2.98	2.91	3.23
10	गुजरात	287.4	206.37	287.05	241.83	321.25
11	हरियाणा	49.38	55.13	60.93	63.2	73.25
12	हिमाचल प्रदेश	32.29	33.81	35.51	31.5	36.48
13	जम्मू एवं कश्मीर	111.43	183.06	467.14	239.94	282.5
14	झारखंड	37.5	38.48	41.88	48.38	51.23
15	कर्नाटक	106.81	125.11	158.43	161.54	158.62
16	केरल	53.19	52.26	68.59	73.29	78.82
17	लद्दाख	--	11.68	11.82	3.76	5.85
18	लक्षद्वीप	--	0.15	0.18	0.02	--
19	मध्य प्रदेश	80.47	138.08	209.61	181.3	185.21
20	महाराष्ट्र	112.15	88.44	130.19	132.03	122.05
21	मणिपुर	20.36	58.99	33.37	14.63	8.11
22	मेघालय	5.69	5.8	9.74	6.66	7.25
23	मिजोरम	10.84	14.12	14.62	13.54	17.55
24	नागालैंड	26.5	20.45	24.95	15.35	29.18
25	ओडिशा	78.09	87.48	113.36	107.32	93.55
26	पुदुचेरी	1.17	1.17	1.44	0.66	0.97
27	पंजाब	39.15	50.11	60.18	72.51	90.88
28	राजस्थान	81.75	88.07	90.26	114.19	124.06
29	सिक्किम	1.75	1.52	2.14	1.31	4.49
30	तमिलनाडु	123.48	138.82	164.46	178.92	198.72
31	तेलंगाना*	71.37	63.76	98.46	102.25	108.12
32	त्रिपुरा	18.34	18.3	20.84	16.89	14.44
33	उत्तर प्रदेश	216.52	329.85	411.65	378.66	435.29
34	उत्तराखंड	34.4	45.37	39.83	46.32	41.92
35	पश्चिम बंगाल	84.87	74.25	85.4	74.09	74.23
कुल		1,950.82	2,188.80	2,977.66	2,722.17	3,093.88

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बिना किसी संपार्श्विक एवं तीसरे पक्ष की गारंटी के अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक ऋण प्रवाह की सुविधा प्रदान करने हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन किया गया है। विगत 05 वर्षों की प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार है:

सीजीटीएमएसई के अंतर्गत सीजीटीएमएसई डाटा प्रगति रिपोर्ट - वर्ष-वार/ राज्य-वार											
क्र.सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 19-20		वित्तीय वर्ष 20-21		वित्तीय वर्ष 21-22		वित्तीय वर्ष 22-23		वित्तीय वर्ष 23-24	
		गारंटियों की सं.	अनुमोदित राशि (करोड़ रु. में)	गारंटियों की सं.	अनुमोदित राशि (करोड़ रु. में)	गारंटियों की सं.	अनुमोदित राशि (करोड़ रु. में)	गारंटियों की सं.	अनुमोदित राशि (करोड़ रु. में)	गारंटियों की सं.	अनुमोदित राशि (करोड़ रु. में)
1	अंडमान और निकोबार	264	29.45	329	24.65	374	35.12	495	50.23	600	128.02
2	आंध्र प्रदेश	50,562	1,556.78	1,63,610	1,559.99	49,848	1,455.81	2,37,520	3,545.04	79,938	5,395.40
3	अरुणाचल प्रदेश	415	46.95	464	54.98	628	82.10	935	147.36	981	198.06
4	असम	14,070	686.72	12,158	673.19	14,918	1,261.92	21,195	2,155.64	34,556	3,750.23
5	बिहार	24,531	1,303.32	22,317	1,086.40	24,217	1,661.23	42,360	3,468.26	1,13,262	8,581.95
6	चंडीगढ़	1,778	133.61	1,274	97.07	1,382	159.32	1,706	302.76	2,459	604.31
7	छत्तीसगढ़	14,022	705.70	12,970	551.96	9,670	775.50	17,733	1,568.54	25,845	2,968.15
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	447	59.36	726	49.74	447	101.19	505	110.82	1,039	276.57
9	दिल्ली	24,917	2,182.94	12,757	1,557.20	15,810	2,768.64	21,458	4,897.47	35,127	8,526.86
10	गोवा	2,594	183.07	2,235	134.84	2,218	173.50	2,826	324.94	4,947	611.01
11	गुजरात	58,595	3,859.49	40,397	2,959.55	34,929	4,835.69	43,336	8,209.05	1,06,073	19,668.15
12	हरियाणा	25,916	1,582.88	18,499	1,217.65	22,285	2,707.15	30,343	5,025.37	48,455	8,553.08
13	हिमाचल प्रदेश	7,538	436.78	8,572	487.35	10,075	791.91	14,898	1,275.01	20,600	2,079.61
14	जम्मू एवं कश्मीर	12,887	416.03	21,371	714.46	38,352	1,295.17	51,431	1,808.31	53,295	2,414.66
15	झारखंड	15,340	1,116.03	14,996	859.78	12,953	1,247.08	21,090	2,488.33	34,800	4,432.49
16	कर्नाटक	68,572	4,068.61	50,974	3,225.47	41,028	4,307.51	53,766	7,711.86	1,35,959	14,015.56
17	केरल	33,739	1,248.12	28,810	1,005.27	18,937	1,104.28	25,761	2,121.07	45,515	4,589.73

18	लद्दाख	26	2.46	110	12.37	205	22.85	467	43.59	637	83.57
19	लक्षद्वीप	52	0.91	72	2.05	11	0.69	25	3.18	7	0.65
20	मध्य प्रदेश	40,822	2,098.28	60,835	1,893.09	64,108	2,650.99	50,289	5,289.80	75,023	9,568.94
21	महाराष्ट्र	83,709	5,807.82	71,850	4,415.75	56,027	6,839.63	66,055	11,925.53	1,29,892	23,358.76
22	मणिपुर	939	42.25	830	41.16	1,294	101.10	2,268	170.89	1,580	111.31
23	मेघालय	1,153	70.46	1,063	60.31	886	92.75	1,410	160.06	1,693	251.74
24	मिजोरम	473	29.06	431	30.09	1,029	86.33	1,032	73.76	1,232	72.93
25	नागालैंड	917	60.95	1,120	68.40	1,692	139.48	1,813	162.03	1,563	160.09
26	ओडिशा	26,167	1,347.05	28,288	1,133.71	25,788	1,801.05	34,081	3,044.90	56,392	6,109.41
27	पुडुचेरी	1,578	80.41	1,588	66.60	1,013	74.30	1,087	107.18	2,418	232.69
28	पंजाब	24,542	1,022.21	20,379	865.25	23,172	1,660.53	49,720	4,384.57	81,259	9,631.88
29	राजस्थान	41,289	1,997.79	32,883	1,440.58	38,622	2,552.89	72,391	5,366.49	85,848	9,180.39
30	सिक्किम	435	22.92	340	15.50	479	34.00	765	60.55	1,108	101.82
31	तमिलनाडु	89,725	4,352.82	61,535	3,343.95	44,897	4,133.60	61,883	7,113.94	1,13,815	15,061.13
32	तेलंगाना	39,162	2,211.72	22,021	1,407.78	24,009	1,958.98	29,792	3,502.89	41,940	6,368.05
33	त्रिपुरा	1,378	53.67	1,673	57.90	2,020	115.09	3,845	207.34	6,523	380.62
34	उत्तर प्रदेश	89,271	4,154.02	78,655	3,726.70	86,616	5,628.12	1,30,769	10,742.11	2,47,258	21,199.56
35	उत्तराखंड	11,158	482.19	9,671	440.95	10,048	629.28	16,296	1,176.64	26,361	2,253.17
36	पश्चिम बंगाल	37,667	2,398.35	29,789	1,617.68	37,033	2,887.09	54,440	6,035.96	1,06,073	11,886.76
कुल		8,46,650	45,851.22	8,35,592	36,899.39	7,17,020	56,171.87	11,65,786	1,04,781.4 6	17,24,073	2,02,807.3 2

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के ऊर्जा दक्षता और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन

राज्य का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
अंडमान और निकोबार	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	-	-	10,00,000	80,00,000	1,63,91,006	2,53,91,006
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
असम	-	-	-	-	-	-
बिहार	-	-	-	-	-	-
चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-
छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	-	-	-	-	-	-
गुजरात	-	-	-	-	-	-
हरियाणा	-	-	75,00,000	95,00,000	-	1,70,00,000
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
झारखंड	-	-	-	-	-	-
कर्नाटक	-	-	-	2,11,00,000	-	2,11,00,000
केरल	-	-	72,00,000	1,10,00,000	-	1,82,00,000
लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	-	-	-	10,00,000	-	10,00,000
महाराष्ट्र	-	-	1,10,00,000	90,00,000	-	2,00,00,000
मणिपुर	-	-	-	-	-	-
मेघालय	-	-	-	-	-	-
मिजोरम	-	-	-	-	-	-
नागालैंड	-	-	-	-	-	-
ओडिशा	-	-	-	-	-	-
पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
पंजाब	-	-	-	28,94,000	1,00,00,000	1,28,94,000
राजस्थान	-	-	-	-	-	-
सिक्किम	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
तेलंगाना	-	-	-	-	60,00,000	60,00,000
त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	-	-	-	1,02,00,000	-	1,02,00,000
कुल	-	-	2,67,00,000	7,26,94,000	3,23,91,006	13,17,85,006